हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट ने पूर्व मे फार्म संख्या 3 के संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे जिला न्यायाधीश, जालोर द्वारा दीवानी वा संख्या46/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 8.10.2012 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर मे एस.बी. सिविल प्रथम अपील संख्या 469/2012 प्रस्तुत की, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 4.2.2013 को यथास्थिति के आदेश पारित किये, जिसे दिनांक 29.9.2014 के द्वारा आदेश दिनांक 4.2.2013 के आदेश को अपील के निर्णय तक कन्फर्म कर दिया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक किसी प्रकार का मेरिट पर निर्णय किया जाना न्यायोचित नही है।

इस संबंध मे विभिन्न उच्चतर न्यायालयों ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जब समान पक्षकारों के मध्य समान भूमि बाबत प्रकरण उच्चतर न्यायालय मे विचाराधीन हो तथा स्थगन आदेश हो तो समरी प्रोसिडिंग की कार्यवाही को उच्चतर न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक स्थगित कर देना चाहिए। जब एक ही विषयवस्तु के संबंध मे दावे व अपीले उन्ही पक्षकारों के मध्य उसी वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अलग अलग नही चल सकते है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवदन किया कि यदि अपीलान्ट को पुनः अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए अपील का निस्तारण किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि पक्षकारों के मध्य इसी वादग्रस्त भूमि बाबत माननीय उच्च न्यायाल मे मामला विचाराधीन है तथा अपील के निर्णय तक स्थगन आदेश प्रभावी है। ऐसी स्थिति प्रस्तुत अपील मे किसी प्रकार निर्णय लिया जाना न्यायोचित नही होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप पक्षकारान के पुनः अपील करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इसी स्तर पर अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्य प्रति के साथ पुनः लौटाया जावे। निर्णय आज दिनांक 16.7.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/7/18